

20.01.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) सरकार की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अनूप खंतवाल उपस्थित आये। 32ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्त की हाजिरी माफी दी गयी। आज के लिये स्वीकृत। 33ख स्थगन प्रार्थना पत्र अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 08.02.2023 को पेश हो।

(प्रतिभा तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार गढ़वाल।